

4

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

केम्प इन्दौर (म0प्र0)

दिनांक 11-12-17 को  
श्री श्री श्री सुभा  
कारिन्द्र माल सुन्दर

PBM गिरानी/धर/शु.रा/2017/4992

देवकरण पिता जगन्नाथ, जाति खाती,  
निवासी ग्राम खण्डवा, तह. धार

.....निगरानीकर्ता

**बनाम**

11-12-17  
क्रमांक 3-1-18 1  
11-12-17 2  
11-12-17 2

बुरखीलाल पिता मांगीलाल, जाति खाती,  
निवासी ग्राम टिही, तह. महु, जिला इन्दौर  
सीताबाई पिता पुना, जाति खाती,  
निवासी ग्राम खण्डवा, तह. धार

- 3 राजाराम पिता रामा, जाति खाती, ✓
- 4 शंकर पिता कवरा, जाति खाती, ✓
- 5 मदन पिता कवरा, जाति खाती, ✓
- 6 मोहन पिता कवरा, जाति खाती, ✓
- 7 पप्पु पिता बद्रीलाल, जाति खाती, ✓
- 8 धापुबाई बेवा बद्रीलाल, जाति खाती, ✓
- 9 मुकेश पिता राजाराम, जाति खाती, ✓
- 10 लखन पिता राजाराम, जाति खाती, ✓
- 11 कमलाबाई बेवा राजाराम, जाति खाती ✓
- 12 बाबु पिता फकिरचंद, जाति खाती फोटवारीसान - ✓
- अ विष्णु पिता बाबु, जाति खाती, ✓
- ब राधेश्याम पिता बाबु, जाति खाती, ✓
- स सोरमबाई बेवा बाबु, जाति खाती, ✓

सभी निवासी ग्राम खण्डवा, तह. धार .....विपक्षीगण


मि. श्री. श्री. सुभा  
कारिन्द्र माल सुन्दर  
17/12/17

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0शु-राजस्व संहिता

*(Handwritten signature)*

देवदरु





::2::

महोदय,

विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने तहसीलदार महोदय धार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 59/अ-6/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 25/03/2015 के विरुद्ध अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी धार के न्यायालय में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की ओर विपक्षी क्रमांक 1 व 2 ने आवेदन पत्र धारा 5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया और आवेदन पत्र में यह आधार लिया कि अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने बुलाये बगैर आदेश पारित कर दिया है। जबकि विपक्षी क्रमांक 1 व 2 अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए ओर अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया एवं जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 द्वारा मियाद में अपील प्रस्तुत नहीं की उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27/11/2017 में यह माना की विपक्षी क्रमांक 1 व 2 (अपीलाण्ट) अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं थे ओर विपक्षी क्रमांक 1 व 2 का आवेदन पत्र धारा 5 का दिनांक 27/11/2017 को स्वीकार किया। उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है।





न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीवीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/4992

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-11-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अखिलेश शर्मा, अनावेदक क्र. 1 व 2 की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्र. 3 से 12 की ओर से श्री मुकेश तारे, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।</p> <p></p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>